

Government Lal Shyam Shah College Manpur

District - Rajnandgaon (C.G.)

Phone No. : 07746-245470 E-mail: college.manpur@gmail.com website: govtcollegemanpur.in

Code of Conduct for Teachers and Staff

1. The teachers and staff are advised to dress elegantly during the college hours as they are role models for students and students imitate teachers and staff and improve themselves.
2. The teachers and staff in our college have been directed to behave decently with the students. They are trained to listen and solve the problems of students cordially.
3. All the teachers and staff have been instructed to be self-reliant in their work and perform their duties with utmost care.
4. The teachers and staff are directed to be punctual with the regard to the regular working hours. Teachers and staff of the college comes to the college and take their classes timely.
5. Teachers are role models for their students. So, the teachers have been instructed to conduct themselves in a careful manner. They are instructed to be disciplined, punctual, honest and hardworking.
6. A pleasant working environment is created among teachers and the staff. All the teachers and staff have been advised to respect each other. Any conflict is solved with mutual discussion in our college.
7. Teachers should keep themselves updated with the recent developments of their respective fields. Thus, all the teachers are being encouraged to learn and teach the students about the recent developments in their field.
8. Teachers have been instructed to update their knowledge and improve their teaching style to keep students interested and engaged in the classroom.

Code of Conduct for Students

Code of conduct for students in our college is same as the code of conduct adopted by every government college in Chhattisgarh. The same is uploaded on the website and have been portrayed in the college building.

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण/संहिता

<h4>आचार संहिता :</h4> <p>प्रत्येक छात्र-छात्रा को यह ध्यान रखना होगा कि उनके आचरण से महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं कीर्ति में वृद्धि हो अनुशासन का सदा पालन करें। कभी भी अश्लील या अशोभनीय व्यवहार न करें। धूमपान एवं मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है। कॉलेज की सम्पत्ति, भवन, पुस्तकालय प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा प्रत्येक छात्र का दायित्व है। आन्दोलन, हिंसा आतक आदि द्वारा किसी समस्या का हल न निकालें, अपितु उन्हें गुरुजन अथवा प्राचार्य के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करें। दलगत राजनीति दलों अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। छात्र अध्ययन एवं पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेगा तथा परीक्षा में अनुसूचित साधनों का प्रयोग दुराधार माना जाएगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं अनुशासन का पालन आवश्यक होगा। उन नियमों के भंग होने पर छात्र/छात्रा को कालेज से निष्कासित किया जा सकेगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।</p>	<h4>सामान्य नियम :</h4> <p>छत्तीसगढ़ में शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरत पालन करना होगा इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।</p> <ol style="list-style-type: none">1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आएगा. किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उल्लेख नहीं 2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगाएगा. साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा. होना चाहिए.3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय व्यवहार का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट या अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा.4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा.5. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यस्त और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा.6. महाविद्यालय तथा छात्रवास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा.7. महाविद्यालय इंधन-उधर थकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है. विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी.8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा, विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा. 8.
--	--

 GPS Map Camera



Manpur, Chhattisgarh, India
9PHF+9C7, Manpur, Chhattisgarh 491229, India
Lat 20.378537°
Long 80.723371°
22/02/22 05:13 PM

Anti-ragging Guidelines

Students are directed to strictly follow the anti-ragging guidelines and they are made aware about the consequences of indulging in such behaviour. The Anti-ragging guidelines have been portrayed in inside the college building.

रैगिंग क्या है ?

<h4>रैगिंग के अंतर्गत -</h4> <p>कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अश्लिष्ट आचरण करना, उपद्रवी अनुशासनहीनता कियाकलापों में संलग्न होना जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक एवं मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्र से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यता नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।</p> <p>कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1995), अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है:-</p> <p>किसी छात्र को मजाक में या किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव मर्यादा के खिलाफ हो या उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यापद हो जाए या डरा-धमकाकर गलत ढंग से बोल कर, गलत ढंगसे बंद करके या उसे चोट पहुंचाकर या उसे इस प्रकार की धमकी, भौत अनुरोध, गलत ढंग से बंदी बनाते चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाने के वैधान्त्रिक कार्य करने से मना करना।</p> <h4>रैगिंग के अंतर्गत -</h4> <p>रैगिंग निम्नलिखित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती है:-</p>	<h4>स्पष्ट आदेश -</h4> <p>सीनियर छात्रों को सरकहने के लिए। साप्ताहिक कवाचद करने के लिए। सीनियरों के बलास - नोट्स उतारने के लिए। अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए। सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए। अश्लील प्रश्न पूछने या उसका उत्तर देने के लिए। नये छात्रों को सीधेपत्र के विपरीत आघात पहुंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए। शराब, उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना। कामुक संकेतार्थ, बाले कार्य, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है। नग्न करना, चुंबन लेना आदि। अन्य अश्लीलताएं करना। उपर्युक्त से यह विदित होता है कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त हैं।</p>	<h4>रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाते वाला दण्ड -</h4> <ol style="list-style-type: none">1. प्रवेश निरस्त किया जाता।2. कक्षा/छात्रावास से त्रिष्कासित किया जाता।3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।4. परीक्षाओं से वंचित करना।5. परीक्षा परिणाम रोकना।6. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा-उत्सव भाग लेने पर प्रतिबंध।7. संस्था से रेस्ट्रिक्ट किया जाता।8. आर्थिक दण्ड रुपये 25,000/- तक
---	---	---

 **GPS Map Camera**



Manpur, Chhattisgarh, India

9PHF+9C7, Manpur, Chhattisgarh 491229, India

Lat 20.378473°

Long 80.723495°

22/02/22 05:14 PM